

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-04/2015-

/कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में, •

श्री अमित तिवारी,
मेसर्स एडवांस क्रॉप केयर इण्डिया प्रा० लि०,
H/O-श्री चन्द्रमोहन शर्मा,
रामलक्ष्मण निवास, द्वितीय तल,
हनुमान चौक, खोजा इमली,
पो०-अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, पटना-2

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण हेतु नया अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौ० सं०, सर्वलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2015 तक के लिए कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	वैधता तिथि
1	Cypermethrin 10% EC	31	Neem Oil Based EC Containing Azadirachtin 0.03% (300PPM)
2	Trizophos 40% EC	32	Carbendazim 50% WP
3	Fenvalerate 20% EC	33	Kasugamycin 3% SL
4	Alphamethrin 10% EC	34	Pendimethalin 30% EC
5	Cypermethrin 25% EC	35	Propargite 57% EC
6	Chlorpyrifos 50%+ Cypermethrin 5% EC	36	Emamectin Benzoate 5% EC
7	Tricentanol EC 0.05%Min	37	Ethephon 39% SL
8	Allethrin 0.2% oil	38	Sulphur 80% WDG
9	2, 4-D Amine Salt 22.5% SL	39	Hexaconazole 5% EC
10	Carboxin 37.5%+Thiram 37.5% DS	40	Phorate 10% CG
11	Allethrin 3.6% Liquid	41	Fipronil 03% GR
12	Sulphur 85% DP	42	Pretilachlor 50%EC
13	Lime Sulphur 22% S.C.	43	Cartap Hydrochloride 50% SP
14	Sulphur 40% SC	44	Acephate 75% SP
15	Quinalphos 25% EC	45	Lambdacyhalothrin 5% EC
16	Fenvalerate 0.4% DP	46	Mancozeb 75% WP
17	Monocrotophos 36% SL	47	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC
18	Chlorpyrifos 20% EC	48	Profenofos50%EC
19	Imidacloprid 17.8% SL	49	Metarhizium Anisopliae 1.15% W.P
20	2,4-D Ethyl Ester 38% EC (Having 2,4-D) Acid 37% w/w	50	Imidacloprid 70%WG
21	Acetamiprid 20% SP	51	Imidacloprid 30.5% SC
22	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC	52	Thiamethoxam 25% WG
23	Tricentanol GR 0.05% Min	53	Neem Seed Kernel Based EC Containing Azadirachtin 1% (10000 PPM) Min
24	Methyl Parathion 2% D.P	54	Paraquat Dichloride 24% SL
25	Alpha Naphthylacetic Acid 4.5% SL	55	Atrazine 50% WP.
26	Neem extract concentrate Containing Azadirachtin 5% w/w Min	56	Sulphur 80% WP
27	Neem Seed Kernel Based EC Containing Azadirachtin 0.15% EC (1500ppm)Min	57	Malathion 50% EC
28	Neem oil based EC Containing Azadirachtin 0.3%w/w Min. (3000PPM)	58	Dimethoate 30% EC
29	Bacillus Thuringiensis Var Kurstaki (Serotype 3a3b3c) 0.5% WP	59	Glyphosate 41% SL.
30	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8%SP	60	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG

61	Pendimethalin 30%+Imazetapyr 2% EC	70	Metribuzin 70% WP
62	Gibberellic Acid 0.186% SP	71	Tebuconazole 25.9% EC
63	Dichlorvos 76% EC	72	Phenthoate 2% DP
64	Cypermethrin 0.25% DP	73	Thiophanate Methyl 70% WP
65	Gibberellic Acid 0.001%L	74	Sulfosulfuron 75% WG
66	Phosphamidon 40% SL	75	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC
67	Copper Oxychloride 50% WP	76	Temephos 50% EC
68	Chlorimuron Ethyl 25% WP	77	Indoxacarb 14.5% SC
69	Chlorpyrifos 1.5% DP	78	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- श्री अमित तिवारी, मेसर्स एडवांस क्रॉप केयर इण्डिया प्रा0 लि0, H/O-श्री चन्द्रमोहन शर्मा, रामलक्ष्मण निवास, भू-तल, हनुमान चौक, खोजा इमली, पो0-अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, पटना-2

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9-कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं० 142 दिनांक 12.06.15 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

2762

/कृ0, पटना, दिनांक 12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।